संख्या- /2026/1784 /पांच-9-2026

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) महानिदेशक, पुलिस विभाग, उ0प्र0।
(3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(5) समस्त पुलिस कमिश्नर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
(6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
(7) समस्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय/स्वशासी/संस्थान मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
(8) समस्त निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 2026

विषयः-मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0-संख्या-2751/2025 In Re Framing of Guidelines For Sensitizing All Concerned In Cases of Termination of Pregnancies बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 06-02-2026 व अन्य आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-2751 /2025 In Re Framing of Guidelines For Sensitizing All Concerned In Cases of Termination of Pregnancies बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-02-2026 एवं अन्य आदेशों में यौन हिंसा/बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियो/महिलाओं के गर्भ समापन हेतु सभी सम्बन्धित पक्षों को संवेदनशील बनाने हेतु दिशा-निर्देशों के पुनर्निर्माण के आदेश दिये गये है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 व यौन हिंसा/बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियों/महिलाओं के गर्भ समापन से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत की गयी एस0ओ0पी0 को तात्कालिक प्रभाव से अवक्रमित करते हुए, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तैयार की गयी "नवीन एस0ओ0पी0 (SAMARTH-Uttar Pradesh)" की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के अनुसार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः- /2026/1784(1)/पाँच-9-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
(2) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(4) महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त पुलिस कमिश्नर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
(5) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
(8) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(9) महानिदेशक, प्रशिक्षण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(10) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
(11) अपर पुलिस, महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
(12) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
(13) अपर निदेशक, मेडिको लीगल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि रंजन)
विशेष सचिव।

संख्या- /2026/1784 /पांच-9-2026

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) महानिदेशक, पुलिस विभाग, उ0प्र0।
(3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(5) समस्त पुलिस कमिश्नर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
(6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
(7) समस्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय/स्वशासी/संस्थान मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
(8) समस्त निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 2026

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0-संख्या-2751/2025 In Re Framing of Guidelines For Sensitizing All Concerned In Cases of Termination of Pregnancies बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 06-02-2026 व अन्य आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या-2751/2025 In Re Framing of Guidelines For Sensitizing All Concerned In Cases of Termination of Pregnancies बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-02-2026 एवं अन्य आदेशों में यौन हिंसा/बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियो/महिलाओं के गर्भ समापन हेतु सभी सम्बन्धित पक्षों को संवेदनशील बनाने हेतु दिशा-निर्देशों के पुनर्निर्माण के आदेश दिये गये है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 व यौन हिंसा/बलात्कार के मामलों में गर्भवती लड़कियों/महिलाओं के गर्भ समापन से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत की गयी एस0ओ0पी0 को तात्कालिक प्रभाव से अवक्रमित करते हुए, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तैयार की गयी "नवीन एस0ओ0पी0 (SAMARTH-Uttar Pradesh)" की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के अनुसार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः- /2026/1784(1)/पाँच-9-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
(2) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(4) महानिदेशक, पुलिस, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त पुलिस कमिश्नर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
(5) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
(8) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(9) महानिदेशक, प्रशिक्षण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(10) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
(11) अपर पुलिस, महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
(12) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
(13) अपर निदेशक, मेडिको लीगल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

28/6/26

(रवि रंजन)

विशेष सचिव।